

प्रति,

प्रधान अध्यापक महोदय,
महर्षि विद्या मंदिर,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

संयुक्त
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
मिर्जापुर-2 मन्सिरा जंक्शन,
प्रयाग विहार,
नई दिल्ली ।

विद्या 171 अनुभाग


तारीख: दिनांक: 22 अप्रैल, 2022

विषय:- महर्षि विद्या मंदिर नेनी, अलाहाबाद को लॉन्गकोव्हीड नई दिल्ली के संकेतों से अनुरोधित प्रमाण-पत्र दिखाने के लिए राज्य सरकार से निम्नलिखित प्रतिशोधों के अधीन अनुरोधित नहीं है :-

अनुशुद्ध,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह पत्र मिला कि महर्षि विद्या मंदिर नेनी अलाहाबाद को लॉन्गकोव्हीड नई दिल्ली के संकेतों से अनुरोधित प्रमाण-पत्र दिखाने के लिए राज्य सरकार से निम्नलिखित प्रतिशोधों के अधीन अनुरोधित नहीं है :-

- 116 विद्यालय की संरचना को-पेपरों का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 120 विद्यालय की प्रमुख भूमि में शिक्षा निर्देशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम एक प्रतिभा शिविर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये-सुरक्षित रहेगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघीय विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिये निर्धारित मुक्त से अधिक मुक्त नहीं किया जायेगा ।
- 141 सेवा द्वारा राज्य सरकार से शिक्षा अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अर्थात् देविक शिक्षा परिषद से आन्वयता प्राप्त है तथा विद्यालय की संकेतों केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली के प्राप्त होती है तो उ. परीक्षा वर्ष के उत्तर केन्द्रीय परिषदों की संकेतों प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त आन्वयता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे ।
- 151 सेवा शिक्षक की किलो र अर्थात् वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त शिक्षक संस्थाओं के अर्थात् वर्षों से अनुभव देविकों तथा अन्य भवनों के इन विद्यमान तथा अन्य भवनों नहीं दिये जायेगे ।
- 161 अर्थात् वर्षों के लिए नहीं कराया जायेगा और उन्हें आन्वयता प्राप्त अर्थात् देविक माध्यमिक शिक्षा परिषदों के अर्थात् वर्षों से अनुभव सेवा नियुक्ति का काम उपलब्ध कराने जायेगे ।


 22.04.2022
Mrs. GEETA ARORA
 Principal
 Maharishi Vidya Mandir
 Senior Secondary School
 Naini-Prayagraj U.P.

- 17) राज्य सरकार द्वारा तय्य तय्य पर जो भी अदेता निनी लिये बारें में संस्था उनका पालन करेगी ।
 - 19) विद्यालय का रिजर्व निर्धारित पुस्तक/पत्रिकाओं में रखा जायेगा ।
 - 19) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के निदेशानुसार अनिवार्य होगा और यदि किसी तय्य यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है तब संस्था पालन करने में किसी प्रकार की पूर्ण या आंशिकता प्रदर्शित करती या नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा सुदत्त अनुपस्थित प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय,

। प्रथम तुन्दर अग्निहोत्री ।
संयुक्त सचिव ।

पू०सं०-1641/15-7-सद०दिनांक

प्रतिभाषण निम्नलिखित की सुचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मध्यमिक संयुक्त शिक्षा निदेशक, झांझाबाद ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, झांझाबाद ।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेजी भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रमुख, अल्प शिक्षा केंद्र श्री, झांझाबाद ।

आज्ञा से,

। प्रथम तुन्दर अग्निहोत्री ।
संयुक्त सचिव ।

Geeta Arora
22.04.2025

Mrs. GEETA ARORA
Principal
Maharishi Vidya Mandir
Senior Secondary School
Naini raj U.P.